न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

GCMS NO.-2025/637
मिसल नम्बर–152/2025

राजेन्द्र प्रसाद उम्र 58 वर्ष पुत्र मथुरालाल जाति धाकड़ निवासी ग्राम जाखोड़ा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

प्रार्थी।

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

अप्रार्थीगण।

–:निर्णय:–

(राजस्थान भू–राजस्वअधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थनापत्र।)

दिनांक 27/12/26

उपस्थितिः–
1. प्रार्थी अधिवक्ता श्री रघुवीर राठौड़

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत् प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम जाखोडा तहसील लाडपुरा जिला कोटा में आराजी ख0नं0 431 रकबा 0.01 है0, ख०नं० 432 रकबा 3.52 है0, ख०नं0 438/978 रकबा 0.35 है०, ख०न0 454 रकबा 0.79 हैव एवं ख०नं० 97 रकबा 0.09 है0 कुल किता 5 रकबा 4.76 है० आराजी स्थित है जो प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है जिस पर प्रार्थी मालिक व काबिज चला आ रहा है। प्रार्थी की आराजी ख०नं0 432 रकबा 3.52 है० दर्ज रेकार्ड है किन्तु उक्त ख0नं0 का वर्तमान नक्शा 3.35 है0 का बना हुआ है, इसी प्रकार ख0नं0 454 रकबा 0.79 है0 दर्ज रेकार्ड है किन्त उक्त ख०नं० का वर्तमान नक्शा 0.96 है० का बना हुआ है। मौके पर आराजी भी वर्तमान नक्शे अनुसार ही स्थित है किन्तु उक्त ख०नं० के रेकार्ड में व नक्शे में उक्त दोनों ख०नं० में 0.17 है० का अन्तर आ रहा है इसलिये प्रार्थी के खाते दर्ज उक्त ख0नं0 432 व ख०नं० 454 का रकबा बरारी करते हुये राजस्व रेकार्ड में ख०नं० 432 का रकबा 0.17 है० कम कर 3.35 है० दर्ज किया जाना एवं ख०नं० 454 का रकबा 0.79 है० के स्थान पर 0.17 है० बढाकर 0.96 है० दर्ज किया जाना आवश्यक है क्योंकि मौके पर प्रार्थी वर्तमान नक्शे अनुसार बहैसियत मालिक व काबिज है। प्रार्थी ने अपने खाते की आराजी ख0नं0 432 एवं ख०नं0 454 का रकबा बरारी करते हुये वर्तमान नक्शा अनुसार दुरूस्ती करवाकर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करवाने के लिये तहसील कार्यालय में जाकर निवेदन किया गया लेकिन उन्होंने प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये कहा। इस कारण माननीय न्यायालय के

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। प्रार्थी की आराजी ख०नं० 432 व ख०नं० 454 का रकबा नक्शे भिन्न दर्ज होने के कारण प्रार्थी को काफी कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है प्रार्थी अपनी आराजी पर मुताबिक रेकार्ड अनुसार पूरे रकबे पर काबिज है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी अन्य खातेदार की भूमि का रकबा कम करवाने या रकबा बढ़वाने के संबंध में कोई सहायता नहीं चाही गई। प्राथी ने नक्शा ट्रेस के अनुसार अपने खाते का रकबा दूरूस्ती का निवेदन किया है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्राथी स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के खाते की आराजी ख०नं० 432 व ख०नं0 454 का रकबा बरारी राजस्व रेकार्ड के नक्शे के अनुसार कर ख०नं0 432 का रकबा 3.52 है० के स्थान पर 3.35 है० एवं ख०न0 454 का रकबा 0.79 है० के स्थान पर 0.96 है0 रेकार्ड में दुरूस्ती कर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी/तहसीलदार लाडपुरा से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट मे कथन किया है कि संलग्न वर्तमान जमाबंदी अनुसार आराजी ख0नं0 432 रकबा 3.52 है0 किस्म चाही सोयम तथा खसरा नं0 454 रकबा 0.79 है0 किस्म चाही सोयम (0.23 है0) जाव सोयम (0.56 है0) खाता सं0 168 वाके ग्राम जाखोड़ा में राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मथुरालाल जाति धाकड़ा के खातेदारी में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। नामांतरकरण संख्या 1190 माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 कोटा के प्रकरण संख्या 9/25 बउनवान राजेन्द्र बनाम शिशुपाल में दिनांक 23.04.2025 को दिए निर्णय की पालना में दर्ज हुआ। मुताबिक नामांतरकरण संख्या 1190 के ख0न0 454 का रकबा 0.58 है0 से बढ़ा कर 0.79 है0 दर्ज किया गया तथा माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 कोटा के निर्णय की पालना तरमीम ऑनलाईन भू–नक्शा मे की गई। माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 कोटा के निर्णय की पालना पश्चात में दर्ज नामांतरकरण संख्या 1190 से खसरा नं0 454 का रकबा 0.58 है0 से 0.79 है0 हुआ (समीपस्थ स्थित खसरा नं0 448 का रकबा 4.88 से घटकर 4.67 दर्ज कर निर्णय की पालना कर खसरा नं0 454 का रकबा बढ़ा कर दर्ज हुआ)। निर्णय की ही पालना में ऑनलाईन भू–नक्शा में दर्ज हुई तरमीम से सड़क के खसरा नं0 438/978 रकबा 0.35 है0 किस्म गै0 मु0 सडक खाता नं0 168 वाके ग्राम जाखोड़ा में राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मथुरालाल के दर्ज रिकॉर्ड की स्थिति में (रिपोर्ट में निर्मित नजरी नक्शा ऑनलाईन नक्शे (भू–नक्शा) में तरमीम पूर्व स्थिति तथा तरमीम पश्चात की स्थिति में प्रदर्शित) परिवर्तन होने से खसरा नं0 454 तथा 432 के रकबे में ऑनलाईन नक्शे में परिवर्तन आया। ऑनलाईन भू–नक्शा से 1:40 (1 सेमी – 40 मी0) के पैमाने पर प्राप्त नक्शे की रकबा बरारी के अनुसार खसरा नं0 454 का रकबा 0.96 है0 लगभग तथा 432 का रकबा 3.35 लगभग प्राप्त हुआ।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया व बहस के कथनों पर मनन किया। प्रार्थी की ओर से कथन किया गया है कि

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

प्रार्थी की आराजी ख०नं0 432 रकबा 3.52 है० दर्ज रेकार्ड है किन्तु उक्त ख0नं0 का वर्तमान नक्शा 3.35 है0 का बना हुआ है, इसी प्रकार ख0नं0 454 रकबा 0. 79 है0 दर्ज रेकार्ड है किन्त उक्त ख०नं० का वर्तमान नक्शा 0.96 है० का बना हुआ है। मौके पर आराजी भी वर्तमान नक्शे अनुसार ही स्थित है किन्तु उक्त ख०नं० के रेकार्ड में व नक्शे में उक्त दोनों ख०नं० में 0.17 है० का अन्तर आ रहा है।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा कथन किया है कि ऑनलाईन भू–नक्शा से 1:40 (1 सेमी – 40 मी0) के पैमाने पर प्राप्त नक्शे की रकबा बरारी के अनुसार खसरा नं0 454 का रकबा 0.96 है0 लगभग तथा 432 का रकबा 3.35 लगभग प्राप्त हुआ। नामांतरकरण संख्या 1190 माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 कोटा के प्रकरण संख्या 9/25 बउनवान राजेन्द्र बनाम शिशुपाल में दिनांक 23.04.2025 को दिए निर्णय की पालना में दर्ज हुआ। मुताबिक नामांतरकरण संख्या 1190 के ख0नं0 454 का रकबा 0.58 है0 से बढ़ा कर 0.79 है0 दर्ज किया गया तथा माननीय न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 कोटा के निर्णय की पालना तरमीम ऑनलाईन भू–नक्शा मे की गई।

प्रार्थीगण की ओर से फर्द दस्तावेज न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 कोटा के प्रकरण संख्या 19/22 उनवान राजेन्द्र बनाम शिशुपाल में पारित निर्णय दिनांक 23.04.2025 की प्रति पेश की। न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 19/22 उनवान राजेन्द्र बनाम शिशुपाल आदेश पारित किया गया है कि "अतः परिणामस्वरूप **उपरोक्त विवेचन अनुसार वादी का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिकी पारित की जाती है कि ग्राम जाखोड़ा तहसील लाडपुरा में स्थित वादी के खाते व कब्जे काश्त की साबिक ख0नं0 360 की 29 बीघा 15 बिस्वा (4.76 है0 के बराबर) भूमि जिसके वर्तमान ख0नं0 431 रकबा 0.01 है0, ख0नं0 432 रकबा 3. 52 है0, ख0नं0 438/978 रकबा 0.35 है0, ख0नं0 454 रकबा 0.58 है0 एवं ख0नं0 97 रकबा 0.09 है0 कुल किता 5 रकबा 4.55 है0 के कमी रकबा 0.21 है0 की पूर्ति समीपस्थ ख0नं0 448 रकबा 4.88 है0 में (हाल सेटलमेंट के दौरान बढ़े रकबे 0.36 है0) से किये जाने के आदेश दिये जाकर वादी के खाते पूर्वानुसार 4.76 है0 भूमि दर्ज किये जाने तथा सेटलमेंट के नक्शे में रो की गलत तरमीम की दुरूस्ती की जाकर रोड से दक्षिण दिशा में ख0नं0 453 व ख0नं0 448 की उत्तरी मेड से लगवा वादी के खाते की आराजी के मौके पर रकबे अनुसार नक्शे में दुरूस्ती की जाने के प्रतिवादी कम 18 तहसीलदार लाडपुरा को आदेश दिये जाते है।"**

न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 कोटा के आदेश दिनांक 23.04.2025 की पालना के पश्चात खसरा नं0 454 तथा 432 के रकबे में ऑनलाईन नक्शे में परिवर्तन होने से ऑनलाईन भू–नक्शा के अनुसार खसरा नं0 454 का रकबा 0. 96 है0 लगभग तथा 432 का रकबा 3.35 लगभग दर्ज हो गया है। चूंकि राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में खसरा नं0 454 रकबा 0.79 है0 एवं खसरा नं0 432 रकबा 3.52 है0 दर्ज है एवं तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ऑनलाईन नक्शे में

न्यायालय उपखण्ड ...

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

खसरा नं0 454 का रकबा 0.96 है0 लगभग तथा 432 का रकबा 3.35 लगभग दर्ज हुआ। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं ऑनलाईन नक्शे में खसरा नं0 454 एवं खसरा नं0 432 के रकबे में भिन्नता होने से प्रार्थी द्वारा ख०नं0 432 का रकबा 3.52 है० के स्थान पर 3.35 है० एवं ख०न0 454 का रकबा 0.79 है० के स्थान पर 0.96 है0 दर्ज किये जाने हेतु हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के माध्यम से किसी अन्य खातेदार की भूमि का रकबा कम करवाने या रकबा बढ़वाने के संबंध में कोई सहायता नहीं चाही गई। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर ख०नं0 432 का रकबा 3.52 है० के स्थान पर 3.35 है० एवं ख०न0 454 का रकबा 0.79 है० के स्थान पर 0.96 है0 दर्ज किये जाने पर अन्य किसी खातेदार का रकबा प्रभावित नही हो रहा है। उक्त परिस्थितियों में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते है।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार लाडपुरा को ग्राम जाखोड़ा के ख०नं0 432 का रकबा 3.52 है० के स्थान पर 3.35 है० एवं ख०न0 454 का रकबा 0.79 है० के स्थान पर 0.96 है0 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

उक्त निर्णय आज दिनांक ....27/2/20.... को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा